860(E)
29/1/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 29/01/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Pandeydih Lahawan Road (Part of Banka District) (Length Km 0.00 to 7.00) तक कार्य वर्ष 2018–19 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

(v) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening & Strengthening of Pandeydih Lahawan Road (Part of Banka District) (Length Km 0.00 to 7.00) तक कार्य वर्ष 2018–19 (Package No.BR 03 RC 024)
2.2	योजना मद	:	RCPLWE
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, बाँका।
2.4	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹1034.112 लाख। विभागीय पत्रांक–5057(अनु0) दिनांक–02.07.2018 P-17024/4(5)2017-RC Dt. 09.03.18 (Ministry of Rural Dev., Govt. of India) द्वारा निर्गत।
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹859.555 लाख। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) का पत्रांक–1175 दिनांक 20.04.2018
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹685.85706 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	09 (Nine) Months for Construction work & 60 (Sixty) Months for Maintenance work.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेडरिंग PMGSY SBD
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	26.10.2018

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित नौ संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) Amitabh Construction Pvt.Ltd.
(2) Arbind Singh
(3) Balkrishna Bhalotia Construction Pvt.Ltd.
(4) Bhola Shran Singh
(5) M/s Ganesh Ram Dokania
(6) M/s Sri Ram Enterprises
(7) Satish Kumar
(8) Nitesh Kumar Singh
(9) Rana Ranvir Singh

29.1.19

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3681अनु0 दिनांक–31.12.2018 द्वारा समर्पित दिनांक–29.12.2018 को आहुत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है :–

5. निविदाकार Ganesh Ram Dokania का पत्रांक–शून्य दिनांक–22.12.2018 द्वारा परिवाद दिया गया है। परिवाद का मुख्य अंश निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है।

5.1 "In the light of above Ref & sub, we would like to draw your kind attention that we had already submitted the order copy of Hon'ble High Court. The order passed by Hon'ble High Court, Patna on dated 22.06.2018 elclosed. In the passed order by Hon'ble High Court, Patna the suspension letter was sat aside, thus we have not violated the clause ITB 4.7(i) of PMGSY SBD.

Today in the evening we got the copy of proceeding of Tender Committee from RCD website and found that Bid of our firm were disqualified. We feel that the order of Hon'ble High Court, Patna which was already submitted has been over looked.

We herby request your good self to do the needful in regard order passed by Hob'ble High Court. Patna & Consider our Bid successful and our Financial Bid to be consider to open and oblige us."

5.2. **परिवाद की समीक्षा** :–

दिनांक–29.12.2018 को उक्त परिवाद के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। संवदेक Ganesh Ram Dokania द्वारा अपने पत्र में उल्लेखित Patna High Court के न्यायादेश दिनांक–22.06.2018 निम्नानुसार है :–

5.3 In the above view of the matte, the impugned order date 29.05.2018 is hereby set aside and the matter remanded to the Engineer in Chief Cum Additional Commissioner cum Special Secretary, Department of Building Construction, Govt. of Bihar, Patna for passing a speaking order after grant of opportunity of hearing to the petitioner and upon consideration of show cause reply dated 05.03.2018 in accordance with law.

The Writ petition stands allowed.

उक्त न्यायादेश के आलोक में भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–9932(भ0) दिनांक–19.09.2018 द्वारा सकारण आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है :–

29.1.19

मेसर्स गणेश राम डोकनियॉ, डोकनिया मार्केट, जिला–बाँका (बिहार) से दिनांक–05.03.2018 को प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त अमान्य किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.06.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में मेसर्स गणेश राम डोकानिया, डोकानिया मार्केट, जिला–बाँका (बिहार) को दिनांक–11.09.2018 को सुनवाई के पश्चात् उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके एवं अन्य एक निविदाकर प्रिस कन्सट्रक्शन, बरोंदिया सिमुलतला, जमुई, बिहार द्वारा निविदा में समूह बनाकर भाग लिया गया है, जिसके लिए इनके अपील को खारिज किया जाता है तथा इनसे दिनांक–05.03.2018 को प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य किया जाता है।

5.4 अतः मेसर्स गणेश राम डोकानिया, डोकानिया मार्केट, जिला–बाँका (बिहार) को उपरोक्त कृत्य के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका–11(क)(x) के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–187 दिनांक–29.05.2018 सह–पठित–ज्ञापांक–5122(भ0) दिनांक–29.05.2018 द्वारा इनके निबंधन संख्या–प्रथम (फर्म)–14(भवन)/2009–नवीकृत को एक वर्ष के लिए निलंबित करने के निर्णय को यथावत् रखा जाता है।

दिनांक–22.11.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा परित आदेश निम्नवत् है :

In the meantime the petitioner is permitted to participate in the on going tender.

दिनांक–26.11.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश निम्नवत् है :

Accordingly, the respondents are granted four weeks time to file the necessary affidavit.

List this case "For admission" after four weeks under the heading "For Admission."

In the meantime, the interim order dated 22.11.2018 shall continue.

समर्पित Affidavit में निलंबन का कोई जिक्र नहीं रहने के कारण PMGSY SBD की कंडिका– ITB-47(i) के आलोक में इन्हें तकनीकी बीड मूल्यांकन में असफल घोषित किया गया था।

दिनांक–22.11.2018/26.11.2018 के माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के क्रम में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इस निविदा को Ongoing tender माना जाए या नहीं?

अतः समिति संवेदक Ganesh Ram Dokania के परिवाद पत्रांक–शून्य दिनांक–22.12.2018 के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा आवश्यक निर्णय लिये जाने की अनुशंसा करती है।

29.1.19

6. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णयः</u>

6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–3680(अनु0) दिनांक 31.12.2018 द्वारा **M/s Ganesh Ram Dokania** से प्राप्त परिवाद में पाया गया कि विषयांकित कार्य का **Last Date of submission of tender 26.10.2018** था। इस तिथि को निविदाकार **M/s Ganesh Ram Dokania** भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–9932(भ) दिनांक 19.09.2018 के माध्यम से निलंबित थे। विभागीय पत्रांक–533(S) दिनांक–23.01.2013 द्वारा संसूचित निर्णय में प्रावधान है कि किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या लोक उपक्रमों अथवा **Any Autonomous Body** द्वारा किसी संवेदक को **Defaulter** घोषित कर निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए **Cut-off Date** निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। चूंकि निविदाकार **M/s Ganesh Ram Dokania** निविदा की तिथि 26.10.2018 को निलंबित थे, अतः विभागीय पत्रांक–533(S) दिनांक–23.01.2013 के आलोक में इनके निविदा को योग्य नहीं माना जा सकता है।

6.2 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को विभागीय ज्ञापांक–8809(ई0) दिनांक–21.12.2018 द्वारा संसूचित निर्णय के अनुरूप विषयांकित कार्य के निविदा के वित्तीय बीड खोलकर शीघ्र विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ अनुमोदनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

6.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

29.01.19	29.1.19	29/01/19	29/1/19	29.1.19
(राजकुमार लाल) मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(सुधीर कुमार दास) मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	(रजनीश कुमार) उप सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–02–88/2018 860 (ε) पटना, दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।